न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/01076

श्रीमती भागवती देवी पुत्र स्व. श्री औतार सिंह, पत्नी श्री मेघ सिंह, निवासी– पिपरेट पोस्ट आंगई, जिला धौलपुर राजस्थान

..........................निगरानीकर्ता

बनाम

1. जीत बहादुर सिंह पुत्र श्री अजब सिह, जाति तोमर, निवासी ग्राम लोधें की पाली, तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. श्रीमती फूलादेवी पत्नी स्व. श्री अवतार सिंह, निवासी– लोंधे की पाली, तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0...........रेस्पोडेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, प्रकरण क्रमांक 428/2017–18 अ.म. उनमान जीत बहादुर सिंह बनाम भगवती देवी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना म0प्र0 आदेश दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता/आवेदिका की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

निगरानी के तथ्यः–

1. यहकि, रेस्पोडेन्ट क्रमांक 1 द्वारा ग्राम लोधे की पाली, तहसील गोहद भिण्ड म0प्र0 की भूमि सर्वे क्रमांक 21 रकवा 0.27 आरे, 599 रकवा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / भिण्ड / 2018 / भूरा / 01076

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23 -5-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 पी0 पालीवाल उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 428 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.01.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम लोधे की पाली तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमि सर्वे कमांक 21 रकवा 0.27 आरे, 599 रकवा 1.18 आरे सर्वे कमांक 621 रकवा 0.21 आरे के भूमिस्वामी औतार सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह जो अनावेदक कमांक 1 के चाचा थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी वसीयत दिनांक 2.8.10 के आधार पर उक्त भूमियों का नामांतरण किये जाने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन किया। तहसीलदार गोहद द्वारा दिनांक 4.3.17 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 30.12.17 को विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इससे दुखित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 24.1.18 को अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा यह आदेश पारित किया गया कि	

मान0अपर जिला जज गोहद के यहां संचालित वाद में जो निर्णय होगा वह दोनो पक्षों पर बंधनकारी होगा । इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुनें । प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा अपने आदेश में यह माना है कि हक के प्रश्न के विनिश्चयन की अधिकारिता नहीं है। तो विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी? मान0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में संचालित वाद का जो आदेश होता वह राजस्व न्यायालयों को मान्य होता अथवा राजस्व न्यायालयों पर बंधन कारी है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 44/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30.12.17 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 428/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.01.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य